दिनांक 25.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 286/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अवैध मादक पदार्थों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु प्रदेश में चलाये गये 'ऑपरेशन दहन' अभियान का विवरण

- **ANTF द्वारा 'ऑपरेशन दहन' अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों का सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है।**
- **निस्तारण की कार्यवाही NDPS नियम–2022 के अंतर्गत GSR–899(E) में दिये गये नियमों के अनुसार की जा रही है।**
- **पर्यावरण सुरक्षा हेतु मादक पदार्थों का निस्तारण Incinerator के माध्यम से किया जा रहा है।**
- **अब तक 63,901 कि0ग्रा0 मादक पदार्थ नष्ट किए जा चुके हैं, जबकि 51,529 कि0ग्रा0 का निस्तारण प्रक्रियाधीन है।**

(पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), उत्तर प्रदेश द्वारा एक विशेष अभियान **ऑपरेशन दहन** (Operation Dahan) पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में वर्षों से विभिन्न पुलिस थानों के मालखानों में जमा अवैध मादक पदार्थों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु चलाया जा रहा है, जो पूर्व में दिनांक–01.03.2026 से 31.05.2026 तक प्रस्तावित था, किन्तु अभियान के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हेतु इसकी समय सीमा को 01 माह (30.06.2026 तक) के लिये बढ़ा दिया गया है।

मादक पदार्थों के निस्तारण/विनष्टीकरण की कार्यवाही नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अंतर्गत GSR899 (E) में दिए गए नियमों के अनुसार करायी जा रही है।

इस अभियान का उद्देश्य पुलिस थानों के मालखानों में वर्षों से जमा हुए अवैध मादक पदार्थों को नष्ट करना है, जिससे थानों के मालखानों में अन्य मालों के लिए जगह बन पाए तथा इनके दुरूपयोग की संभावना खत्म हो सके। पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध मादक पदार्थों को खुले में जलाने के बजाय उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से युक्त भस्मकों (**Incinerator**) से किया जा रहा है।

जब्त अवैध मादक पदार्थों में से 1,15,430 किग्रा0 का 52(A) NDPS Act के अंतर्गत सैम्पलिंग कर माननीय न्यायालय से निस्तारण/विनष्टीकरण हेतु अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।

उपरोक्त अवैध मादक पदार्थों में से 1,15,416 कि0ग्रा0 के निस्तारण/विनष्टीकरण हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।

अनुमति प्राप्त अवैध मादक पदार्थों में से 63,901 कि0ग्रा0 का निस्तारण/विनष्टीकरण किया जा चुका है तथा 51,529 किग्रा0 मादक पदार्थों के निस्तारण/विनष्टीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आपरेशन दहन अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में मादक पदार्थों के निस्तारण/विनष्टीकरण की कार्यवाही में टॉप–10 कमिश्नरेट/जनपदों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	कमिश्नरेट/जनपद	निस्तारित(कि0ग्रा0 में)
1	आगरा कमिश्नरेट	9671.98
2	इटावा	5774.822
3	सोनभद्र	5715.476
4	मैनपुरी	4864.968
5	हरदोई	4183.104
6	शामली	3590.179
7	बरेली	2625.18
8	कासगंज	2341.888
9	बुलन्दशहर	2001.662
10	कौशाम्बी	1806.587

दिनांक 25.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 287/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना अतरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत**
- **01 कुण्डल**
- **01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.05.2026 को थाना अतरौली, थाना हरदुआगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना अतरौली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बमदाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की फायरिंग में दो पुलिस कर्मी घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ 2–मोमीन घायल हो गये, जिनके कब्जे से 01 कुण्डल, 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा इलाज के दौरान अभियुक्त 1–रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ 2–मोमीन को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी थे, जिसमें अभियुक्त रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, अलीगढ़, कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 40 अभियोग एवं अभियुक्त मोमीन के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का

प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त जनपद अलीगढ़ से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50—50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1—रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ निवासी सेक्टर—3 माधवपुरम ब्रम्हापुरी मेरठ, स्थाईपता ग्राम राजपुर सिम्भावली हापुड़।

2—मोमीन निवासी बिरौड़ी ताजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 कुण्डल।

2—01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद सीतापुर/थाना अटरिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.05.2026 को थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना अटरिया क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ बउआ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ व जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अटरिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अटरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश कुमार उर्फ बउआ निवासी ग्राम मरपा मुलुकपुर थाना इटौजा कमिश्नरेट लखनऊ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मुरादनगर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ गंजा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मुरादनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नरेन्द्र उर्फ गंजा निवासी तिलक कॉलोनी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली गुरसहायगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 142 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 कैंटर वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2026 को थाना कोतवाली गुरसहायगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर समधन फ्लाइओवर के पास से 02 अभियुक्तों 1–जगदीश कुमार 2–विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 142 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 कैंटर वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली गुरसहायगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जगदीश कुमार निवासी ग्राम भांवर थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा।

2–विजय निवासी ग्राम व थाना फरमाना जनपद सोनीपत हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 142 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3—01 कैंटर वाहन आदि।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना पवई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 38—38 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/308/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—मो0यहिया 2—मोहम्मद 3—मो0होजैफा को आजीवन कारावास व 38—38 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—जितेन्द्र को धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—रविन्द्र 3—संतोष को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395/396/397/328 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्ना उर्फ विजय उर्फ नटवर को 14 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————